

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

I.	परियोजना / स्कीम का स्थान	"भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" पश्चिम भानुप्रतापपुर
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कांकेर
(iii)	वन प्रभाग	पश्चिम भानुप्रतापपुर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	5.323 (हेक्टेयर)
(v)	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, वन विकास निगम, एवं राजस्व वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 - 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यकता नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदा क्षरण की संभावना नहीं है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं हैं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्व/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण	नहीं हैं।

	से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं आवश्यक हैं।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं हैं।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	आवश्यकता नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रों की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नहीं है।
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।

6.	विभाग / जिला प्रोफाईल	उत्तर बस्तर कांकेर
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	कांकेर जिला - 7247.959 वर्ग कि.मी.
(ii)	वनमण्डल का वन क्षेत्र	पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल - 1203.007 वर्ग कि.मी. में
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	02 प्रकरणों में रकबा 75.000 हे.
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर	---निरंक --- ---निरंक ---
(v)	2019-20 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर ।	वनभूमि में - 377.000 हे. वनेत्तर भूमि - 0.00 हे.
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्याथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।	कांकेर जिले के पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत पखांजुर ब्लाक के अधिनस्थ ग्राम पंचायतो को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजलीकृत हो जायेंगे, जिससे ग्राम वासियों के पंचायत संबंधी कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से संपादित होंगे। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट फेस -2" के अंतर्गत छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ.ग. द्वारा पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत आष्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 5. 323 हे. के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 15.02.2021

स्थान :- भानुप्रतापपुर

वनमण्डलाधिकारी

पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल

भानुप्रतापपुर